न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रकरण स. 138 / 2025

1. इन्द्रा पत्नी नोरत
2. भंवरी पत्नी बालू
3. गोपाली पत्नी मलासिंह रावत

समस्त जाति रावत निवासी प्रतापपुरा उपतहसील बान्दनवाड़ा जिला अजमेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा दिनांक 08.10.2024 प्रकरण संख्या 194 / 2024

उपस्थितः–

1. श्री सलीम अहमद रंगरेज अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय

दिनांक 30.12.2025

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बान्दनवाड़ा ने ग्राम प्रतापपुरा के खसरा नं. 5779 रकबा 0.23 हैक्ट., खसरा नं. 5781 रकबा 0.76 हैक्ट. राजकीय भूमि पर अपीलान्ट द्वारा बाड़ लगाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर नायब तहसीलदार ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया। आगामी तारीख पेशी को अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये अपीलान्ट को बेदखल किए जाने के आदेश पारित कर दिये। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया बल्कि अपीलान्ट के पूर्वजों का लगभग 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर बिना जांच किये एवं बिना साक्ष्य व सुनवाई, जवाब का मौका दिये अपीलान्ट को बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट पर ना तो कोई नोटिस तामील हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। बिना तामील रिपोर्ट लिये पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज कर आदेश पारित किया। जो पूर्ण रूप से केवल और केवल अपीलान्ट को बेदखल करने की कार्यवाही की गई हैं। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया जाकर जवाब एवं मूल रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई। अपीलान्ट वकील ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नायब तहसीलदार द्वारा बिना मौके की जांच किये, बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अपीलान्ट को अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित किया। जबकि मौके पर अपीलान्ट का उसके पूर्वजों के समय से लगभग 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। समस्त कार्यवाही राजनैतिक द्वेषतावश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलंक्टर, केकड़ी

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा ग्राम बान्दवाड़ा स्थित खसरा नं. 5779 किस्म बा.3 रकबा 0.23 हैक्ट0 भूमि पर अतिक्रमंण किये जाने पर अपीलान्ट को विधिवत रूप से नोटिस जारी किया जाकर बाद सुनवाई आदेश पारित किया है। अतिक्रमी के विरूद्ध नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2024 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा भी उक्त आराजी पर पूर्वजों के समय से कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये और ना ही प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार्य हो।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 194/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2024 को यथावत रखा जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/12/25

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर